

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या - 41/2013

प्रदीप कुमार वर्मन बनाम् चतुर्भुज कश्यप वगै०

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख


13-09-2017


आदेश

विपक्षी की ओर से दिनांक 01.07.2017 को दायर आवेदन एवं सिविल जज-I (Sr.Div.) हजारीबाग में स्वत्व वाद संख्या 90/2013 प्रदीप कुमार वर्मन बनाम् चतुर्भुज कश्यप वगै० से संबंधित निर्गत नोटिस का अवलोकन किया। साथ ही उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। स्पष्ट है कि मौजा-बनतारा, थाना नं०-24, थाना- गोला, खाता नं०- 20 प्लॉट नं०- 41, रकबा- 0.22<sup>3</sup>/<sub>4</sub> एकड़ भूमि से संबंधित स्वत्व वाद संख्या 90/2013 प्रदीप कुमार वर्मन बनाम् चतुर्भुज कश्यप वगै० व्यवहार न्यायालय में लंबंति है।

उक्त परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकूल है। अतः बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
उपायुक्त,  
रामगढ़।

  
उपायुक्त,  
रामगढ़।

663/निर्गत  
11/09/17